

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2012 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 03.09.2012

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

-प्रार्थी

बनाम

आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़

-विपक्षी

कार्यवाही: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955


- उपस्थिति:- 1- श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2- श्री रमेश चन्द्र गर्ग, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 03.09.2019



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1048 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म नाडी होकर बिलानाम मेवाड बन्दोबस्त में दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 3211 रकबा 0.47 है। एवं आराजी नम्बर 3212 रकबा 1.82 हैक्टेयर बने हैं जिसमें से आ. नं. 3211 रकबा 0.47 है। एवं आ. नं. 3212 रकबा 1.63 है। जो विपक्षी के नाम जमाबन्दी सम्मत


जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

2064 से 2067 में शमशान घाट नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 3211 रकबा 0.47 है। एवं आराजी नम्बर 3212 रकबा 1.63 हैक्टेयर को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में किस्म नाडी बिलानाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गर्ग, ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1048 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म नाडी बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी ख़ातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 एवं आ. नं. 1048 किस्म नाडी दर्ज थी। उक्त किस्म की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ



जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़



आवंटन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 एवं आ. नं. 1048 के नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 3211 रकबा 0.47 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 3212 रकबा 1.82 में से 1.63 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम दर्ज है जो विधि-विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाकर उक्त आराजी को पूर्व किस्म अनुसार अंकन का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता विपक्षी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1048 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि बिलानाम होना स्वीकार है। यह भूमि राज्य सरकार ने दी है तथा इसका लगान 40 गुना राशि हमने जमा करा दी है तथा यह आबादी के काम आ रही है जिसे करीब 20-25 साल हो चुके हैं तथा नवीन आराजी संख्या 3211 रकबा 0.47 है। एवं 3212 रकबा 1.63 है। से शमशान घाट के नाम दर्ज है। शमशान की भूमि नगर पालिका में निहित सम्पत्ति होती है। उस पर नगर पालिका का अधिकार है। रेफरेन्स अवधि बाहर है। अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 एवं आ. नं. 1048 किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 3211 रकबा 0.47 है। एवं आराजी नम्बर 3212 रकबा 1.82 है। बने हैं जिसमें से आराजी नम्बर 3211 रकबा 0.47 है। एवं आराजी नम्बर 3212 रकबा 1.82 है। में से 1.63 है। जो शमशान घाट के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।



जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़



राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमियां आवंटन योग्य नहीं हैं और इनमें खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1048 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा किस्म नाडी जो बन्दोबस्त होने से हाल आराजी नम्बर 3211 रकबा 0.47 है। एवं आराजी नम्बर 3212 रकबा 1.82 में से 1.63 हैक्टेयर किस्म शमशान भूमि दर्ज होने से इसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश 02.08.2004 के निर्देशानुसार दिनांक 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु पुनः बिलानाम किस्म नाडी दर्ज कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना से अवगत करावें।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़